संपादकीय

तार्किक परिणति

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक को अवैध ठहराने वाले कानून के मसविदे को हरी झंडी दे दी। लिहाजा, संबंधित विधेयक इसी सत्र में संसद में पेश किया जाएगा और इस बात की पूरी उम्मीद है कि उसे संसद की मंजूरी मिल जाएगी। गौरतलब है कि अगस्त में तीन तलाक के खिलाफ आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सभी दलों ने स्वागत किया था। इस दिशा में कानून बने, यह उस फैसले का अनिवार्य तकाजा था। हालांकि अदालत का फैसला आने के बाद भी, सरकार ने शुरू में कहा था कि इस बारे में कानून बनाने का उसका इरादा नहीं है। पर बाद में उसे अहसास हुआ होगा कि कानून बनाना ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की तार्किक परिणति होगी; कानून नहीं बना तो फैसला व्यवहार में बेमानी हो जाएगा। अदालत का फैसला मुसलिम महिलाओं के संघर्ष की जीत माना गया। वही बात प्रस्तावित कानून के बारे में भी कही जा सकती है। कानून बनाना फैसले को अमली रूप देने के लिए तो जरूरी है ही, इस तथ्य के मद्देनजर भी जरूरी है कि अदालती फैसले के बाद भी तीन तलाक प्रथा के जरिए तलाक के कोई सड़सठ मामले सामने आए। अब ऐसा करना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि प्रस्तावित कानून ने तुरंता तीन तलाक को अपराध ठहराया है, और यह अपराध करने वाले पति को तीन साल की जेल हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। विधेयक के कानून बन जाने पर पीड़िता को मजिस्ट्रेट से फरियाद करने और अपने तथा अपने आश्रित बच्चों के लिए गुजारा-खर्च पाने का अधिकार होगा।

तुरंता तीन तलाक या 'तलाक-ए-बिद्दत' दशकों से काफी विवादास्पद मसला रहा है। शायद यही कारण है कि इस पर सुनवाई करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के जजों में भी सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी। संबंधित पीठ के पांच जजों में से दो जज फैसले से असहमत थे। विवाद की बुनियाद में दो अलग-अलग आग्रह और दृष्टिकोण थे। ऑल इंडिया मुसलिम पसर्नल लॉ बोर्ड और दूसरे भी कई मुसलिम संगठन जहां इस मामले को यानी तीन तलाक को खत्म करने की मांग को अपने पारंपरिक रीति-रिवाज में दखल और अपनी धार्मिक स्वायत्तता पर हमले के रूप में देखते थे, वहीं मुसलिम महिलाओं के संगठनों के लिए यह मुद्दा न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने का था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के व्यापक स्वागत को देखते हुए विरोध कर चुकी संस्थाएं भी खामोश हो गईं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था, यह कानून के समक्ष समानता का मामला है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद चौदह में दी हुई है। इसका यह अर्थ नहीं कि संविधान ने धार्मिक स्वायत्तता को मान्य नहीं किया है। पर धार्मिक स्वायत्तता उसी हद तक हो सकती है जब तक वह नागरिक अधिकारों के आड़े न आए। शनि शिंगणापुर और हाजी अली की दरगाह में प्रवेश के मामलों में फैसला सुनाते समय मुंबई उच्च न्यायालय ने भी धार्मिक स्वायत्तता की इस सीमा और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत या प्रावधान को रेखांकित किया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और अब केंद्र सरकार की पहल, दोनों का यही अर्थ है कि परंपरा या प्रथा के नाम पर किसी के नागरिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। आखिरकार तीन तलाक के खिलाफ मुसलिम महिलाओं का संघर्ष रंग लाया। यह उनकी जीत है। संविधान सर्वोपरि है।

बचत पर बाजार की नजर

अब आम आदमी का धन क्या बैंकों में सुरक्षित नहीं रहेगा? एफआरडीआइ विधेयक की बाबत इस सवाल पर चर्चा जारी है। सामान्यतया बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हित परस्पर विरोधी नहीं होते, पर जब उद्योगपतियों को दिए गए विशाल कर्जों की माफी के लिए 'बेलआउट पैकेज' और इस कारण दिवालियेपन के कगार पर पहुंचे बैंकों को बचाने के लिए 'बेल इन' का सहारा लिया जाता है तब बैंकों और जमाकर्ताओं के हितों में टकराव पैदा हो जाता है। देश के 63 प्रतिशत नागरिकों ने अपने धन की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भरोसा किया है। निजी क्षेत्र के बैंकों पर विश्वास करने वाले भारतीयों की संख्या भी कम नहीं है- लगभग 18 प्रतिशत।

इन बैंकों में भारतीय नागरिकों के धन की सुरक्षा के प्रावधान अब भी बहुत सशक्त नहीं हैं। वर्तमान में 'डिपाजिट इंश्योरैंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन' के माध्यम से जमाकर्ताओं को एक लाख रुपए तक की गारंटी मिलती है, चाहे उनकी जमा राशि कितनी भी अधिक हो। एफआरडीआइ बिल यानी फाइनेंसियल रेसोल्यूशन ऐंड डिपाजिट इंश्योरैंस बिल दरअसल घाटे में चल रही वित्तीय संस्थाओं के भविष्य को निर्धारित करने के लिए एक रेसोल्यूशन कॉरपोरेशन बनाने से संबंधित है जो रिजर्व बैंक के स्थान पर इनके विषय में निर्णय लेगा।

इस विधेयक में यह भी प्रस्तावित है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक घाटे या दिवालियेपन की दशा में यह निर्धारित कर सकेंगे कि उन्हें अपने ग्राहकों की कितनी जमा राशि वापस करनी है और इसका स्वरूप क्या होगा। हो सकता है कि वे अपने ग्राहकों का धन दीर्घावधि जमा (फिक्स्ड डिपाजिट) या बांड्स के रूप में लौटाएं जिनका भुगतान लंबी परिपक्वता अवधि के बाद लिया जा सकेगा। संभव है कि जन असंतोष को देखते हुए सरकार रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ की उस मांग को अंशतः मान ले कि गारंटी की राशि को दस लाख रुपए तक बढ़ा दिया जाए। पर मूल मसला तब भी बरकरार रहेगा। यह मसला है लोगों की जमा राशि पर सरकार और बैंकों के नियंत्रण का, जरूरत पड़ने पर निकासी के अधिकार से उन्हें वंचित करने का, रिजर्व बैंक के अधिकारों में कटौती का और आम आदमी के पैसे का उपयोग उद्योगपतियों को दिए गए न वसूले जा सकने वाले कर्ज के कारण बैंकों को होने वाले घाटे की भरपाई के लिए करने का।

सरकारी बैंकों का एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट्स) इस समय 6 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इस 'बैड लोन' में एसबीआइ की हिस्सेदारी 1 लाख 88 हजार करोड़ रुपए की है। सरकार कॉरपोरेट घरानों को दिए गए कर्ज के कारण दिवालियेपन की ओर अग्रसर बैंकों की समस्याओं के समाधान की खातिर आम लोगों के धन का उपयोग करने के लिए लालायित रही है, और पहले भी पेंशन फंड की राशि का उपयोग इस प्रयोजन के लिए करने की उसकी कोशिशें भारी विरोध के कारण मुल्तवी हो गईं। पहले के उदाहरण यह बताते हैं कि जब-जब बैंकों को ऐसे विशेषाधिकार मिले हैं जो ग्राहकों के हितों का अतिक्रमण करते हैं तब-तब इनका दुरूपयोग ही हुआ है।

1882 में डाकघर बचत बैंक के अस्तित्व में आने के साथ ही प्रारंभ हुई इन योजनाओं को स्वतंत्र भारत में और महत्त्व मिला। केंद्र सरकार द्वारा डेढ़ लाख डाकघरों और सार्वजनिक बैंकों तथा कुछ चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंकों की 8 हजार शाखाओं तथा 5 लाख अल्प बचत अभिकर्ताओं के जरिए चलाई जाने वाली ये लघु बचत योजनाएं केंद्र सरकार के 'ट्रेजरी बैंकिंग ऑपरेशन्स' के अंतर्गत आती हैं और इन पर सेबी व रिजर्व बैंक जैसे नियामकों का नियंत्रण नहीं होता। इनके शुद्ध संग्रह (नेट कलेक्शन) का उपयोग केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा घाटे के वित्तीय प्रबंधन में किया जाता है।

यह राशि आरवी गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर 1999-2000 में गठित राष्ट्रीय लघु बचत कोष में रखी जाती है जो सरकार के लोक लेखा (पब्लिक एकाउंट्स) का एक भाग है। ये अल्प बचत योजनाएं लघु और मध्यम आय वर्ग के नौकरीपेशा और व्यापारी जनों, घरेलू महिलाओं, मजदूरों तथा किसानों व वरिष्ठ नागरिकों के वित्तीय प्रबंध (फाइनेंसियल प्लानिंग) का एक महत्त्वपूर्ण भाग रही हैं और इनके जीवन के विभिन्न महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम- शादी, संतानोत्पत्ति, शिक्षा, गृह निर्माण व वृद्धावस्था प्रबंधन- आदि इन योजनाओं के इर्दगिर्द बुने जाते रहे हैं।

सरकार अल्प बचत योजनाओं पर ऊंची दरों से मिलने वाले ब्याज का 'युक्तियुक्तकरण' करने की ओर तेजी से अग्रसर है। अल्प बचत योजनाओं और बैंक जमा के बीच ब्याज के अंतर को मिटाने की चेष्टा हो रही है। तर्क यह दिया जा रहा है कि ब्याज दरें बराबर होंगी तो बैंकों में निवेश बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि बैंकों में जमा धन अधिक गतिशील होता है। इसका उपयोग ऋण देने व अन्य आर्थिक औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए होता है। अल्प बचत योजनाओं में ब्याज दरों में कमी आने पर लोग म्युचुअल फंड्स और शेयर बाजार में निवेश करेंगे जिससे बाजार में मजबूती आएगी। लोगों को निवेश के नए विकल्प मिलेंगे, आदि आदि।

यह तर्क कि अधिक ब्याज दर के कारण लोग अल्प बचत योजनाओं की ओर आकर्षित होते हैं और बैंक जमा में कमी आ रही है, तथ्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मार्च 2013 के अंत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का कुल जमा 7428200 करोड़ रुपए था जबकि इसी समय लघु बचत योजनाओं में जमा राशि इस राशि के लगभग दसवें भाग के बराबर 814545 करोड़ रुपए थी। वैसे भी, नोटबंदी के बाद सरकारी दावों के अनुसार भी बैंकों के पास पर्याप्त पैसा है।

अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दरों को 'फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट ऐंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' के द्वारा निर्धारित गवर्नमेंट सिक्युरिटीज की ब्याज दरों के आधार पर तय किया जाना है। इन दरों की जानकारी इस संस्था द्वारा शुल्क लेकर अपने सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ही उपलब्ध कराई जाती है। जब आम निवेशक की जमा राशि को बाजार दरों के अनुसार हर तीसरे महीने समायोजित किया जाना तय है तो इन दरों की जानकारी उसे भी अवश्य ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

राष्ट्रीय लघु बचत कोष को भी अब गैरजरूरी बताया जा रहा है। सरकार समर्थक अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि यह कोष बजट से अतिरिक्त होता है और इसकी जवाबदेहियां राजकोषीय प्रबंधन में सम्मिलित नहीं होतीं इसलिए इसके आय और व्यय में बड़ी विसंगति मौजूद है।

राज्य भी इस कोष से विवशता में ऋण लेते हैं और अवसर मिलने पर वे बाजार से ऋण लेना उचित समझेंगे। अतः इस कोष को बनाए रखने का औचित्य नहीं है। यह भी बताया जा रहा है कि कम ब्याज दरें भी ज्यादा लाभ (रिटर्न) दे रही हैं क्योंकि महंगाई कम है। आम आदमी को समझाया जा रहा है कि उसकी छोटी-छोटी बचतों पर दिया जाने वाला ब्याज देश को कैसे पीछे धकेल रहा है। उसे निश्चित सुरक्षित रिटर्न देना अब संभव नहीं है और अब उसे अपनी जमाराशि को बाजार की ताकतों को सौंपना होगा।

2003 की राजग सरकार के समय प्रारंभ हुआ नेशनल पेंशन सिस्टम यूपीए के कार्यकाल में फला-फूला और अब पुनः राजग के दौर में परवान चढ़ रहा है। यह सरकार को अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन देने की जरूरी जिम्मेदारी से छुटकारा दिलाने का उपाय तो था ही, पर इससे भी ज्यादा चिंताजनक था इन कर्मचारियों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों और गृहणियों की खून-पसीने की कमाई का निवेश इसके माध्यम से असुरक्षित शेयर बाजार में कराना। लातिन अमेरिकी देशों और कुछ यूरोपीय देशों में इसकी विफलता से सबक लेने के बजाय प्रेरणा ही ली गई है।

भारत का रक्षा गौरव

भारतीय नौसेना में स्कार्पीन पनडुब्बी %आईएनएस कलवरी का शामिल होना एक ऐसी घटना है, जो इस क्षेत्र के सैन्य समीकरणों में गेम चेंजर (सूरत बदल देने वाली) साबित होगी। लिहाजा इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा कि यह सवा सौ करोड़ भारतीयों के लिए एक बड़े गौरव का पल है। इससे भारतीय नौसेना को मिलने वाली ताकत तो जगजाहिर है, लेकिन इस घटनाक्रम का एक और अहम पहलू है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका उल्लेख किया। कहा कि %कलवरी का निर्माण %मेक इन इंडिया का एक उत्तम उदाहरण है। गौरतलब है कि %आईएनएस कलवरी का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। ये कार्य भारतीय कंपनियों और इंजीनियरों की बेहतरीन तकनीकी क्षमता से संभव हो सका। इसके निर्माण में एक बार फिर भारतीय कर्मियों का उच्च तकनीकी कौशल जाहिर हुआ। यह इस बात की भी मिसाल है कि फ्रांस से रणनीतिक रिश्ते विकसित करने के भारत सरकार के प्रयास अब फलीभूत होने लगे हैं। इस सहयोग का भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाने में अब महत्वपूर्ण योगदान बन गया है। रक्षा जानकार मानते हैं कि 21वीं सदी में विभिन्न् देशों की रक्षा रणनीतियों में नौसेना की खास भूमिका होगी। इसकी वजह यह है कि समुद्री रास्ते से आतंकियों के घुसपैठ करने की आशंका बढ़ती गई है। इस मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है। गुजरे वर्षों में समुद्री डाकुओं का आतंक भी देखने को मिला। अन्य देशों की तरह भारत भी इन सभी चुनौतियों का सामना करने की तैयारी में जुटा है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न् देशों के साथ सहयोग एवं क्षेत्रीय सुरक्षा में भी भारत ने अपनी विशेष भूमिका बनाई है। यह काम नौसेना के महती योगदान के बिना संपन्न् नहीं हो सकता। इसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा - इसे मैं एक खास नाम %सागर यानी सिक्युरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के नाम से बुलाता हूं। उम्मीद की जा सकती है कि आईएनएस कलवरी मिलने के बाद भारतीय नौसेना की ऐसी क्षमताओं में और वृद्धि होगी। यह डीजल-विद्युत से संचालित पनडुब्बी है। यह स्कॉर्पीन श्रेणी की उन छह पनडुब्बियों में से पहली है, जिन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। फ्रांस की कंपनी डीसीएनएस ने इन पनडुब्बियों का डिजाइन तैयार किया है। %कलवरी भारत की पहली पनडुब्बी बनी थी। 1967 से 1996 तक यह भारतीय नौसेना के पास रही। तब रिटायर होने के बाद अब ये पनडुब्बी नए कलेवर में फिर से भारत की रक्षा योजना का हिस्सा बनी है। अब ये पुनः दुश्मनों पर घातक हथियारों से हमला करने के लिए तैयार है। इसका डिजाइन इस तरह तैयार किया किया गया है, जिससे यह कई प्रकार के अभियानों में हिस्सा ले सकती है। युद्ध के अलावा खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने, बारूदी सुरंग बिछाने, समुद्र में निगरानी करने जैसे काम करने में भी यह सक्षम है। जाहिर है, ये तमाम खूबियां अब भारतीय नौसेना के पास हैं। बेशक इस खबर से भारतीय जल क्षेत्र पर नापाक नजर रखने वाले देश भयभीत होंगे।

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कोम्प्लेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, बी-4, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया। फोन-26568477, 26409779. E : alpaviram1@yahoo.com

विकास को पागल बताने वाली सियासत

पिछले 22 वर्षों से गुजरात की सत्ता पर काबिज भाजपा राज्य की जनता से एक बार फिर जनादेश की गुहार लगा रही है तो इतने लंबे अरसे से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस को वापसी का सुनहरा मौका नजर आ रहा है। दिलचस्प यह है कि अमूमन रक्षात्मक रहने वाली कांग्रेस इस बार खासे आक्रामक तेवर दिखा रही है और भाजपा को उसी के हथियार से मात देने की फिराक में है। यह हथियार और कुछ नहीं विकास का वही %गुजरात मॉडल है, जिसके दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए। अब कांग्रेस के निशाने पर यही गुजरात मॉडल है। उसका आरोप है कि गुजरात में कोई विकास हुआ ही नहीं। प्रथमदृष्टया उसका यह आरोप हैरान करता है, क्योंकि हाल तक कांग्रेसी यह कहते नहीं थकते थे, %मोदी ने किया ही क्या है? गुजरात तो पहले से ही विकसित था! मोदी के गुजरात मॉडल का पहला स्तंभ राज्य और कानून-व्यवस्था से जुड़ा है, जिसमें कानून के राज को आदर्श रूप से स्थापित किया गया। कांग्रेसी शासन में दंगा-राज और गुंडा-राज ही गुजरात का यथार्थ था। राजनीतिक सत्ता का सारा खेल जाति और मजहब के गुणा-गणित पर आधारित था। सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने पक्ष की जातियों के %बाहुबलियों को प्रश्रय देने की नीति अपना रखी थी। ये बाहुबली चुनाव के वक्त काम आते थे। इसके विपरीत गुजरात मॉडल के केंद्र में हिंदुत्व के आधार पर एक संयुक्त हिंदू मतदाता वर्ग का निर्माण किया गया। संगठित हिंदू-वोट ने एक ही झटके में सारा पुराना चुनावी गुणा-गणित खत्म कर दिया।

गुजरात में पहले अन्य राज्यों की तरह से कोई भी पार्टी दो-तीन हिंदू जातियों को साधती थी और मुस्लिम वोटों को उसमें सम्मलित करके चुनाव जीत जाती थी, परंतु इससे होता यह था कि सरकार हमेशा इन जातियों और समुदायों के नेताओं एवं गुंडों से ब्लैकमेल होती रहती थी। वह गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई का साहस इस भय से नहीं जुटा पाती थी कि कहीं उसकी कीमत अगले चुनाव में न चुकानी पड़ जाए। चूंकि मोदी का गुजरात इस दलदल से मुक्त हो सका इसीलिए वह संगठित अपराध, माफिया और बाहुबलियों के वर्चस्व को तोड़ने में सफल हुआ। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार गुजरात महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्यों में से है। जहां पहले शहरों के चुनिंदा इलाकों में

भाई कल्चर चलता था और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, वहां अब बाजार फल-फूल रहे हैं। जाहिर है कि कानून-व्यवस्था अच्छी होगी, स्थायित्व और शांति होगी तो अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। 2001-2013 में गुजरात की जीडीपी 10 फीसदी की दर से बढ़ी है। यही नहीं, 2012-2017 के कालखंड में भी जब हर जगह विकास दर गिरी है, तब भी गुजरात ने 10 प्रतिशत की दर बरकरार रखी है, जो देश में सबसे अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत का 22 प्रतिशत निर्यात गुजरात से होता है। 2013-2017 में गुजरात की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक और उत्पादन क्षेत्र का हिस्सा 28.4 फीसदी से बढ़कर 34.4 फीसदी हो गया है, जो कि चीन के समकक्ष है। 1999-2000 में गुजरात यदि भारत का पांचवां सबसे समृद्ध राज्य था तो आज यह तीसरा सबसे समृद्ध राज्य है।

%अंबानी-अडानी की सरकार और कॉर्पोरेट मॉडल के फर्जी प्रवचन के विपरीत गुजरात की अर्थव्यवस्था का 37 फीसदी हिस्सा लघु और मध्यम उद्योगों का है और पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक बढ़त श्रम प्रधान क्षेत्रों में हुई है। देश में सबसे अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग गुजरात में हैं। गुजरात सबसे कम बेरोजगारी वाले क्षेत्रों में से है। दरअसल, गुजरात आज पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य इलाकों के मजदूरों के पलायन का मुख्य केंद्र है। रोजी-रोटी की तलाश में गुजरात जाने वालों में अमेठी और रायबरेली के लोग भी शामिल हैं। यहां के कई परिवार तो स्थायी रूप से वहीं बस गए हैं। सोशल सेक्टर में भी गुजरात की प्रगति सराहनीय है। आज आंकड़ों को गलत तरीके से प्रदर्शित करके गुजरात की दूसरी ही तस्वीर खींची जा रही है। केरल में शिशु मृत्युदर (12/1000) की गुजरात (33/1000) से तुलना करके यह बताया जा रहा है कि गुजरात में विकास के दावे झूठे हैं। जो नहीं बताया जा रहा वो यह कि 2001 में केरल में ये दर 11/1000 थी, गुजरात में 60/1000। केरल में यह 11 से बढ़कर 12 हुई है, तो गुजरात में 60 से घटकर 2015 में 33 हुई और 2017 में कुछ और कम।

गुजरात कम पानी वाला क्षेत्र है। यहां की बहुत-सी जमीन बंजर है या फिर कम उपजाऊ, फिर भी गुजरात कृषि क्षेत्र में 11 प्रतिशत तक की विकास दर हासिल करने में सक्षम रहा है। इसराइल की सिंचाई की आधुनिक तकनीक ड्रिप-सिंचाई को अपनाने, 1,00,000 चेक-डैम बनाने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि बाजार में सुधार, किसानों को सूचना के साधनों और तकनीक से जोड़ने के जो काम किए गए, उनके चलते हालात पहले से बेहतर हुए हैं। गुजरात मॉडल में आधारभूत संरचना में निवेश पर भी खासा जोर दिया गया है। बिजली क्षेत्र में सुधार का गुजरात सफल उदाहरण है। इसके अलावा वह अक्षय ऊर्जा जैसे वायु और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में से है। गुजरात सौ फीसदी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य है। वह घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे और खेती-सिंचाई जैसे कार्यों के लिए प्रतिदिन 8-10 घंटे बिजली देने में सफल रहा है। सड़कों, बंदरगाहों इत्यादि में अप्रत्याशित सुधार की कहानी तो जगजाहिर है।

गुजरात मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ प्रशासनिक सुधार है। मोदी ने गुजरात में न केवल पेशेवर लोगों की नियुक्ति पर जोर दिया, बल्कि नियुक्तियों और प्रोन्ति में कार्य प्रदर्शन को अहमियत देना शुरू किया। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी खासकर डिजिटल टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर सरकारी ढांचे में एकीकृत करना शुरू किया। इससे जहां सरकार की कार्यक्षमता बढ़ी, वहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। सीएमएस के 2017 के एक शोध के अनुसार कांग्रेस शासित कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है वहीं गुजरात में 2005-17 के बीच भ्रष्टाचार में कमी आई है।

गुजरात मॉडल अच्छी कानून-व्यवस्था, कुशल प्रशासन, बेहतरीन आधारभूत ढांचे और उद्योग-व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक आर्थिक स्वतंत्रता देने पर आधारित है और इसी कारण वह लगातार दो दशकों तक 10 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर देने में सफल रहा है। यह सही है कि सोशल सेक्टर में कई क्षेत्रों में बेहतर काम हो सकता था, लेकिन कांग्रेस का यह कहना कि %विकास पागल हो गया है नकारात्मक राजनीति का चरम है। बजाय इसके कि बेहतर काम करने का अपना मसौदा रखकर विपक्ष चुनाव लड़ता, वह जाति-समुदाय की राजनीति के आधार पर चुनाव लड़ रहा है। यह एक तरह से गुजरात को 80 और 90 के दशक में लौटाने वाली राजनीति है।

संवाद की ओर

हाल ही में अपने कामकाजी और पूरे सप्ताह व्यस्त रहने वाले एक दोस्त के साथ बैठने का अवसर मिला तो एक अजीब-सा प्रसंग सामने आया। पता चला कि उसके बेटे के स्कूल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था- 'पेरेंटिंग', यानी माता-पिता बनना सीखना। बात भले ही हंसी से शुरू हुई, लेकिन परिवेश जल्दी ही गंभीर विमर्श में बदल गया। पिछले कुछ समय से जैसा दौर हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, उससे सचमुच इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि समाज में इस सीख की गहरी कमी भयंकर दुष्परिणामों के रूप में नजर आ रही है। बेटे द्वारा मां और बहन की हत्या कर देना या पिता द्वारा अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाने की खबरें यही दर्शाती हैं कि निश्चित ही जुड़ाव के वे तंतु जो माता-पिता और संतान के बीच अपरिमेय आत्मीयता रचते हैं, वह या तो टूट रहे हैं या पनप ही नहीं रहे हैं। कहने का मतलब यह कि उनके बीच केवल जैविक संबंध का अस्तित्व रह गया है। आखिर समाज में संबंधों में संवेदना के सूत्र कैसे बिखरे और आज हम कई बार बहुत कुछ छूटता हुआ क्यों पा रहे हैं?

मैं पलट कर अपने बचपन में झांकता हूं। लेकिन इस बीच छह दशक से ज्यादा का समय है। उस स्मृति को केवल एक पाठ की तरह दोहराया जा सकता है। वह नए संदर्भ की खोज का विकल्प नहीं बन सकता। बुनियादी बात यह है कि बचपन के सार्थक संरक्षण के लिए यह बहुत जरूरी है कि पीढ़ियों के अंतर के बावजूद बच्चे और माता-पिता के बीच संवाद और समझ की निरंतरता बनी रहे और इस क्रम में कोई बाहरी बाधा कोई रुकावट या असुविधाजनक स्थिति नहीं पैदा करे। दरअसल, आज के समय में यह एक कठिन समीकरण की परिकल्पना है। कारण बहुत सारे हैं। बच्चे और मां के बीच इस तंतु के टूटने के कारण से लेकर बच्चे और पिता के बीच दूरी पनपने के कारण अलग-अलग हैं। उन पर कुछ विचार किया जा सकता है।

पहले अगर मां को केंद्र में रखा जाए तो मांएं कभी-कभी अपने धर्म-कर्म, पूजा-पाठ और व्रत-उपवास का अनुशासन निभाने की विवशता के कारण अपने बच्चे से वह संवेदन सामीप्य नहीं बना पातीं जो बच्चे के भीतर अंकुरित हो रही हलचल का समय रहते आभास पा सके। परंपरा से चली आ रही धारणाओं और इस तरह की सामाजिक व्यवस्था में मांएं कभी-कभी परिवार में या अन्य छोटे-बड़े संबंधियों की सुविधा के लिए चाहे-अनचाहे खुद को कामकाज में झोंक देती हैं। और व्यस्तता के इस क्रम में उनका बच्चा उनके वांछित स्पर्श से छूट जाता है। नौकरी में लगी मांओं को विविध प्रकार की वरीयताएं पूरी करनी पड़ती हैं, जिनमें उनकी निजी महत्त्वाकांक्षा का घटक भी अपनी भूमिका निभाता है। मेरे उसी दोस्त के साथ बातचीत में एक प्रसंग यह आया था कि हमारे समय में माता-पिता का अपना कोई निजी संसार नहीं होता था। हालांकि सच यह है कि पिता का तो होता था और अब भी है, लेकिन मांएं तब भी निर्विकार केवल मां होती थीं। अब भी कई मामलों में यही स्थिति बनी हुई दिखती है। लेकिन अब यह इच्छा रखना कि हर स्थिति में और हर जगह पर मांएं उसी ध्रुव पर वापस लौट जाएं, शायद गलत होगा। फिर भी पनघट की इस राह पर चलना ही होगा कि इस उजास में संतान से निरंतरता खंडित न हो। पिताओं के संतान से दूर बने रहने के अनेक कारणों में एक तो यह अवधारणा है कि पिता को भयानक छवि वाला और गंभीर बने दिखना चाहिए। अपनी संतान के साथ भी पिता का अपने ईगो यानी अहं से बाहर नहीं आ पाना आज भी अनेक परिवारों में देखा जा सकता है। अधिकतर पिता अपना मूल दायित्व केवल संसाधन जुटाना भर मानते हैं और संतान के साथ उनका सामीप्य भी एक संसाधन है, यह उनकी समझ से बाहर रह जाता है। जुटा कर संतान को सौंपे गए संसाधनों को वह 'स्टेटस सिंबल' मान कर रह जाते हैं। अनियंत्रित मोबाइल, टैबलेट, इंटरनेट और यहां तक कि नाबालिग या कम उम्र में ही स्कूटर या कार चलाना ऐसी ही चूक को दर्शाता है जो कई तरह के दुष्परिणामों की नींव रखते हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

निविदा सूचना

(ई-बोली सं. 2017_एएआई_4997)

अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से **सहायक महाप्रबंधक (इंजी.-सिविल)** द्वारा **''स.व.प.अन्त. हवाईअड्डा, अहमदाबाद पर परिचालन क्षेत्र की दीवार से दीवार तक ग्रेडिंग का कार्य।''** हेतु योग्य एजन्सियों से सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। अनुमानित समय **04 (चार) माह।** निविदा दस्तावेज जारी करने की तिथि **16/12/2017** से **28/12/2017** तक। लिफाफा I एवं II खोलने की तिथि **04/01/2018**। विस्तृत जानकारी के लिए **www.airportsindia.org.in** या **www.aai.aero** पर या **https://etender.gov.in** पर लॉग ऑन करें।